3. M/s. ACC-Rio Tinto Exploration Corpn. Ltd., Bangalore (for Behradih Block only)

4. M/s. B. Vijaykumar Diamond Constorium, Mumbai. (For Behradih Block only)

The aforesaid four offers were evaluated by M/s. ICICI. Keeping in view the technical evaluation made by I.C.I.C.I., the Govt. of Madhya Pradesh has decided to accept the offer made by M/s. B. Vijaykumar diamond Constorium for Behradih Block.

Further, the State Govt. of Madhya Pradesh has decided that the selected company shall form a Joint Sector Company in conjunction with Madhya Pradesh State Mining Corporation within a fixed time frame.

After the Joint Sector Company is registered, Govt. of Madhya Pradesh shall recommed the application for grant of prospecting licence for prior approval of the Central Govt. as per the provisions of Section 5(1) of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957.

Since the Central Govt. has not received any proposal from the Govt. of Madhya Pradesh as yet for grant of prospecting licence for diamonds to M/s. B. Vijaykumer Diamond Constorium, Mumbai, the question regarding

बिहार में खनिज भंडारों का सर्वेक्षण

3628. **श्री नागमणि:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सारे देश के सभी राज्यों में से बिहार में सबसे ज्यादा खनिज भंडार हैं;

(ख) क्या सरकार ने बिहार में खनिज भंडारों का व्यापक सर्वेक्षण किया है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य और राष्ट्र के हित में ऐसी कोई योजना बनाई है ताकि भूमि के नीचे दबे इन खनिजों का समुचित दोहन किया जा सके; और

(घ) यदि भाग (क) से भाग (ग) तक के उत्तर हां, हों तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि इन भागों के उत्तर न में हों तो उसके क्या कारण है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) बिहार अनेक आर्थिक खनिज भंडारों से सम्पन्न है तथा वहां कोयला तथा लौह अयस्क (हेमेटाइट) के वृहदतम संसाधन हैं।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने बिहार में अनेक महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सर्वेक्षण किये हैं। उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

खनिज	जिले
1. कोयला	बोकारो, हजारीबाग, पलामू, दुमका, पाकुर तथा साहेबगंज।
2. बाक्साइट	रांची, लोहारडागा तथा पलामू।
3. तांबा-सीसा-जस्ता	सिंहभूम, बन्का, देवधर जमुई।
4. स्वर्ण	सिंहभूम, रांची, नालन्दा तथा जमुई।
5. लौह अयस्क	सिंहभूम तथा पलामू।
6. एपेटाइट	सिंहभूम तथा पलामू।
7. एसबेस्टोस	सिंहभूम।
8. फैल्स्पर	गिरिडीह तथा नवादा।
9. पाइरफ्लेक्ट	बोकारो।
10. कार्बनाइट	सिंहभूम।
11. चूनापत्थर	रोहतास तथा बढ़वा।
12. अभ्रक	कोडर्मा तथा गिरिडीह।
13. टिन	गिरिडीह तथा रांची।
14. बर्मीकुलाइट	चैतरा तथा गिरिडीह।
15. लैबिडोलाइट	गिरिडीह तथा कोदर्मा।
16. बैराइट	सिंहभूम तथा गढ़वा।
17. आरसेनिक	कोदर्मा, गिरिडीह तथा नवादा।
18. हीरा	पलामू तथा गुमला।
19. क्वार्टजाइड	मुंगेर।
20. निकिल-कोबाल्ट	सिंहभूम।
21. एन्डालुसाइट	गढ़वा।
22. पाइराइट	रोहतास।
23. गारनेट	हजारीबाग।
24. केराइल	गिरिडीह तथा डोडर्मा।
25. चीनी मिट्टी	सिंहभूम।
26. टेल्क एंड स्टीटाइट	सिंहभूम।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 में घोषित की गई थी। जिसके अनुसार विदेशी प्रौद्योगिकी के प्रवेश तथा उच्च मूल्य और दुर्लभ खनिजों के लिए गवेषण तथा खनन में भागीदारी को अपनाया जाएगा।

13 खनिज, जिन्हें इससे पहले (1993 तक) सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया था, गवेषण तथा विदोहन के लिए विदेशी निवेश तथा उदयतन प्रौद्योगिकी सहित बड़ी मात्रा में निवेश को आकर्षित करने के लिए निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 को क्रियान्वित करने के लिए 1994 में खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन किए गए जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की स्वीकृति के बाद भारत की खनन कंपनियों में विदेशी इक्विटी पर प्रतिबंधों को हटाना, जिससे 100% विदेशी इक्विटी दी जा सके, बशर्ते कंपनी भारत में पंजीकृत हो; खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची के भाग (ग) से 15 खनिजों को हटाना; खनन पट्टे की न्यूनतम अवधि को 20 वर्ष करके खनन पट्टे की अधिकतम अवधि को 20 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष करके, खनन पट्टा नवीकरण की अधिकतम अवधि को 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष करके, पूर्वेक्षण लाइसेंस (पी०एल०) की अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करके तथा पूर्वेक्षण लाइसेंसों को दो वर्ष तक नवीकरण की मंजूरी देकर अवधि को बेहतर स्थायित्व प्रदान करने के प्रावधान शामिल हैं। खनिज रियायत नियमावली, 1960 तथा संरक्षण तथा विकास नियमावली, 1988 में भी तदनुसार संशोधन किए गए।

इसके अलावा, देश में खनिज संसाधनों के तीव्र गति से गवेषण के लिए अद्यतन हवाई सर्वेक्षण प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर बड़े क्षेत्रों में हवाई पूर्वेक्षण करने के बारे में 30.10.1986 को दिशा-निर्देश जारी किए गए/राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा बिहार राज्यों में 51000 वर्ग किमी० क्षेत्र में बड़े क्षेत्रों में ऐसे हवाई पूर्वेक्षण के 36 प्रस्ताव अभी तक मनजूर किए गए हैं। इन प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव बिहार से संबंधित है जिसमें 2472 वर्ग किमी० क्षेत्र में तांबे संबद्ध खनिजों के गवेषण के लिए, मैसर्स फेल्पस डॉज एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा० लिमिटेड को अनुमति दी गई है।

Modernisation Steel Plant Under SAIL

3629. SHRI GAYA SINGH:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the modernisation of various steel plants under SAIL has given positive results; and

(b) if so, money spent on modernisation of these plants and to what extent the production has improved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS):(a) the facilities progressively commissioned under modernisation of various steel plants have given some positive results in terms of production and technoeconomics.

(b) The total amount spent on the modernisation of Durgapur, Rourkela and Bokaro Steel Plants till 31.3.98 is Rs. 10390.80 crores.

While modernisation of Durgapur Steel Plant is complete. the modernistion programmes at Rourkela and Bokaro Steel Plants are still underway. The production in Durgapur Steel Plant has been as follows:

(figures in '000 tonens)

Item	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
Saleable Steel	641	852	947	1093	1259

Revival Package for Bharat Refractories Limited

3630. SHRI C.O POULOSE:
SHRI JIBON ROY:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the BIFR has approved the revival package for Bharat Refractories Limited;

(b) if so, the details of the package; and

(c) the steps taken by Government to ensure implementation of the package?